

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2021 — चैत्र 10, शक 1943

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(27).— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, रुपये 75 लाख से कम अथवा बराबर बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय विलेखों के पंजीयन पर, प्रदत्त पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट संबंधी, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76), दिनांक 03 जून, 2020 की प्रभावशीलता अवधि में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वृद्धि करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2021

क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(27).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच (27), दिनांक 31 मार्च, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2021

NOTIFICATION

No. F 3-42/2019/CT(R)/V(27).— In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, extends the date of applicability of this Department's Notification No. F 03-42/2019/CT(R)/V(76), Dated 3 June 2020, for further period upto 31 March 2022, related to the exemption of 2 percent in the registration fee paid on registration of instruments of sale of residential houses and flats, where the Market Value of such property is less than or equal to Rs. 75 lakhs.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIRANJAN DAS, Secretary.